राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल– stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः भूमि / एफ.7(ड)(165)डीएलबी / 16 / 1475 दिनांकः 26/4/2017

परिपत्र

निदेशालय स्तर पर समय–समय पर यह तथ्य नोट किया गया है, कि एकल पट्टा जारी किये जाने के पश्चात् एक से अधिक भूखण्डों मय सड़क इत्यादि का ले–आउट प्लान का अनुमोदन हेतु स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा हैं, एवं ऐसे प्रकरणों हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10 (65)नविवि / 3 / 04 दिनांक 19.02.2010 के तहत् उपविभाजन हेतु प्रेषित किये जाते रहे हैं। आदेश 19.02.2010 में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नियमन पश्चात् जारी एकल पट्टे के भूखण्ड का ले–आउट प्लान का अनुमोदन किन मानदण्डों के तहत् किया जावे, इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण इस प्रकार के प्रकरण का निस्तारण नही हो पा रहा हैं।

अतः उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निदेशालय स्तर से परीक्षण व मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा प्रदत्त तकनीकी राय के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

"कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात् राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के प्रावधान संख्या 4.03(i) के तहत् एकल पट्टा जारी किये जाने के पश्चात् भूखण्ड पर एक से अधिक भूखण्डों मय सड़क इत्यादि का ले–आउट प्लान प्रस्तावित किया जाता हैं, तो ऐसी स्थिति में ले–आउट प्लान का अनुमोदन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 (Above 10 Hectares)के प्रावधान संख्या 5.0 (Table-B) अथवा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 (up to 10 Hectares) के प्रावधान संख्या–4.0 (Table-A) के तहत् मानदण्डों एवं इस संबध में समय–समय पर जारी आदेशों / परिपत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों को समायोजित करते हुये किया जावेगा।"

ले–आउट प्लान में आन्तरिक विकास हेतु मानदण्डो एवं नियमो की पालना राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के प्रावधान के तहत् सुनिश्चित किया जाना होगा। नियमानुसार उपविभाजन शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा कराये जाने होगें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांकः भूमि / एफ.7(ड)(165)डीएलबी / 16 / 1476 – 1678 दिनांकः 26/4/2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

C:\Users\PC\Desktop\Computer Data\New folder (3)\f\R.K. VIJAYVARGIA (STP)\Letters\STP General Letter.docx

5. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/ भरतपुर।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
9. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
10. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(एम.के.मीना)
अतिरिक्त निदेशक

C:\Users\PC\Desktop\Computer Data\New folder (3)\F\R.K. VIJAYVARGIA (STP)\Letters\STP General Letter.docx